**भारत सरकार**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**

**औषध विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1121**

**दिनांक 16 अगस्‍त, 2013 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**दवाओं/जीवन रक्षक औषधियों की बढ़ती कीमत**

**1121.डा.टी.एन.सीमाः**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान दवाओं/जीवन रक्षक औषधियों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष दवाओं/जीवन रक्षक औषधियों की कीमतों में कितने

प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) उक्त मूल्य वृद्धि का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस तरह की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार इस तरह की दवाओं की कीमतों की समीक्षा के लिए कोई कृतित्व बल/पैनल गठित

करने का विचार रखती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्‍यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क) से (घ):** सरकार द्वारा दिनांक 15 मई, 2013 को अधिूसचित किए गए औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) में जीवन रक्षक औषधियों का वर्गीकरण नहीं किया गया है। राष्‍ट्रीय आवयश्‍क दवा सूची में विनिर्दिष्‍ट सभी दवाइयों को डीपीसीओ, 2013 की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है और उन्‍हें मूल्‍य नियंत्रण के अंतर्गत लाया गया है। इनमें से एनपीपीए ने पहले ही उक्‍त आदेश के प्रावधानों के अंतर्गत 291 दवाओं के संबंध में उच्‍चतम मूल्‍य निर्धारित कर दिए हैं। एनएलईएम-2011 की 151 औषधियों को कवर करने वाली पहली अधिसूचना दिनांक 14.06.2013 को जारी की गई थी। डीपीसीओ, 2013 के तहत अधिसूचित मूल्‍यों का ब्‍यौरा एनपीपीए की वेबसाइट [www.nppaindia.nic.in](http://www.nppaindia.nic.in) पर उपलब्‍ध है।

...2/-

-2-

उच्‍चतम मूल्‍य से अधिक अधिकतम खुदरा मूल्‍य वाले अनुसूचित फार्मूलेशनों के विनिर्माताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विनिर्माताओं के लिए डीपीसीओ, 2013 के पैरा 13 (1) और 24 के अनुसार एनपीपीए द्वारा मूल्‍य अधिसूचना की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर अधिकतम खुदरा मूल्‍य को संशोधित करके एक ऐसा मूल्‍य निर्धारित करना अपेक्षित है जो उच्‍चतम मूल्‍य प्‍लस स्‍थानीय करों जहां कही लागू हो, से अधिक न हो।

विनिर्माताओं को यह भी अधिदेश दिया गया है कि वे डीपीसीओ, 2013 के पैरा 24 (2) के अनुसार फार्म-V में एक मूल्‍य सूची जारी करें। उच्‍चतम मूल्‍य से निम्‍नतर अधिकतम खुदरा मूल्‍य वाले अनुसूचित फार्मूलेशनों के सभी मौजूदा विनिर्माताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे डीपीसीओ, 2013 के पैरा 13 (2) के अनुसार मौजूदा अधिकतम खुदरा मूल्‍य को बनाए रखें।

एनपीपीए आयातित अनुसूचित फार्मूलेशनों सहित सभी फार्मूलेशनों के मूल्‍यों की मानीटरिंग करता है। कोई भी व्‍यक्‍ति किसी ग्राहक को कोई अनुसूचित फार्मूलेशन (दवाई) एनपीपीए/सरकार द्वारा अधिसूचित / अनुमोदित मूल्‍य से अधिक मूल्‍य पर बेचने के लिए प्राधिकृत नहीं है। राज्‍य औषध नियंत्रकों] गैर सरकारी संगठनों/संस्‍थानों आदि से डीपीसीओ] 2013 के अंतर्गत अधिसूचित उच्‍चतम मूल्‍य से अधिक मूल्‍य पर बेची जा रही राष्‍ट्रीय आवश्‍यक दवा सूची (एनएलईएम) की दवाइयों के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्‍त नहीं हुई हैं। एनपीपीए एनएलईएम की औषधियों के मूल्‍यों की बारीकी से मानीटरिंग कर रहा है।

डीपीसीओ, 2013 के पैरा 20 के अनुसार सरकार, अनुसूचित फार्मूलेशनों सहित, सभी औषधियों के अधिकतम खुदरा मूल्‍य (एमआरपी) की मानीटरिंग करेगी और यह सुनिश्‍चित करेगी कि कोई भी विनिर्माता पिछले बारह महीनों के दौरान किसी औषधि के अधिकतम खुदरा मूल्‍य में, अधिकतम खुदरा मूल्‍य के दस प्रतिशत से अधिक की वृद्धि न करें और जहां कहीं भी अधिकतम खुदरा मूल्‍य के दस प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है, वह अगले बारह महीनों के लिए इसे कम करके अधिकतम खुदरा मूल्‍य के दस प्रतिशत तक रखेगा। विनिर्माता अधिप्रभारित राशि को शास्‍ति, के अतिरिक्‍त, मूल्‍य वृद्धि की तिथि से ब्‍याज सहित जमा करने के लिए बाध्‍य होगा।

**(ड.):** जी, नहीं ।

**(च):** प्रश्‍न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*\*